<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपीडी/टीए/4606/2005/टोंक</u>

1 सरदार खां पुत्र कल्लू खां
2 अबरार खां पुत्र कल्लू खां
3 छोटे खां पुत्र कल्लू खां सभी जाति मुसलमान (मेवाती) निवासी मौहल्ला ताल कटोरा टोंक तहसील व जिला टोंक

अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक
2 डी.एफ.ओ. टोंक
3 चीफ कन्जरवेटिव आफ फोरेन्ट राजस्थान जलेब चौक, जयपुर
4 असांर खां पुत्र कल्लू खां जाति मुसलमान (मेवाती) निवासी मौहल्ला ताल कटोरा टोंक तहसील व जिला टोंक

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील अपीलार्थीगण
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उप राजकीय अभिभाषक।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.23.1.2019</u>

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्ररकण संख्या 24/2000 में पारित निर्णय दिनांक 1.9.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई र्ह।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने व प्रत्यर्थी संख्या 4 ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया किसाबिक आराजी खसरा नम्बर 4416/6829 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 4930 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा टोंक जो कि ग्राम बिछारस की तन से मिला हुआ है, वादीगण की ममलूका मकबूजा एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादीगण के पूर्वजो का

कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह जमीन पहले वादीगण के पिता कल्लू खां की कब्जे काश्त में थी एवं वह उप कृषक था। बाद में भू प्रबन्ध के दौरान विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी। जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने चाराजोही की परन्तु वादीगण के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रही। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.4. 2000 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्व वादीगण अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1.9.2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सन् 1942 से पूर्व कभी भी जंगलात के खाते में रहना साबित नहीं कराया गया है जबकि जमाबन्दी बन्दोबस्त सन् 1915–16 में अपीलार्थीगण के पिता कल्लू खां का नाम दर्ज है। कल्लू खां की वल्दियत गलती से गुलाब धोबी अंकित कर दी गई जबकि कल्लू खां की वल्दियत नजब खां है। इस गलत अंकन से वादीगण अपीलार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है एवं सुक्ष्म निर्णय देकर आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. की पालना नहीं की है। वर्ष 1942 से पूर्व विवादित भूमि कभी भी जंगलात की नहीं रही है जिससे वादीगण उप कृषक होने से खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही महकमा जंगलात के नाम दर्ज चली आ रही है। कुछ वर्षो में अतिक्रमी की काश्त किसी की अंकित होने से उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वन विभाग की भूमि पर किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6.पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा होना तो

सिद्ध होता है परन्तु सैटलमेन्ट से पूर्व विवादित भूमि वादीगण के पिता के खातेदारी की होना साबित नहीं होता है, वादीगण का वाद खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुए विवादित भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से अपील खारिज की है।

7. पत्रावली पर उपलबध राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2018 में विवादित भूमि मकबूजा जंगलात (बी) दर्ज है तथा कल्लु खां का नाम कृषक के कालम में दर्ज है। सम्वत 2019 की जमाबन्दी में मकबूजा जलंगाल बीड दर्ज करते हुए कल्लू खां को उ0कृ0 दर्ज किया हुआ है। उक्त राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही वन विभाग के नाम दर्ज चली आ रही है तथा सम्वत 2019 की खसरा गिरदावरी में कल्लू खां को उपकृषक दर्ज किया गया है। इससे पूर्व का ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि पर सम्वत 2009 अथवा सम्वत 2012 से कल्लू खां बतौर कृषक अथवा उपकृषक दर्ज रहा हो। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है तथा कल्लू खां का अतिक्रमण रहा है। वन विभाग की भूमि पर इस प्रकार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 1.9.2005 यथावत रखा जाता हैं

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य